भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
संगणक केन्द्र

*****

पूर्वी खंड-10, आर. के. पुरम
नई दिल्ली,
दिनांक: 22 .02 .2023

परिपत्र

संगणक केन्द्र, साख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय चूंकि एक संबद्ध कार्यालय है, इसका कार्यालय समय 9.30 (पूर्वाहन) से 6:00 (अपराहन) है और प्रत्येक कर्मचारी से ऊपर उल्लिखित समय का पालन करने की अपेक्षा है । अधिकारी/कर्मचारी के नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण तथापि आगमन समय में 30 मिनट तक की छूट है । कार्यालय समय का कड़ाई से पालन करने के लिए समय समय पर निर्देश जारी किए जाते हैं । फिर भी यह पाया ग़या है कि निर्देशों का सख्ती से अनुपालन नहीं हो रहा ।

2. संगणक केन्द्र के सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों को एक बार फिर से कार्यालय में उपस्थित रहने और उपस्थिति में समय- पालन का कड़ाई से अनुसरण करने को निर्देश दिया जाता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि उपस्थिति में अनुमत्य छूट से ज्यादा विलंब की एक महीने में दो अवसरों से अधिक अनुमति नही है और दो अवसरों से अधिक बार उपस्थिति में विलंब होने पर कर्मचारी के आकस्मिक अवकाश खाते से आधा दिन का आकस्मिक अवकाश काट दिया जाएगा। निरंतर उपस्थिति में विलंब होने पर सीसीएस (आचार) नियम, 1968 के अन्तर्गत कार्रवाई भी हो सकती है।

3. सभी नियंत्रक अधिकारियों से अनुरोध है कि वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों / कर्मचारियों की समयबद्धता सुनिश्चित कराने एवं आदतन देर से आने वालो के बारे में मासिर आधार पर स्थापना अनुभाग को रिपोर्ट करें।

उक्त सभी निदेशों को नोट कर अनुपालना सुनिश्चित करें ।

अम्बिका आनन्द चटर्जी

(अंबिका आनंद चटर्जी)
निदेशक

1. संगणक केन्द्र के सभी अधिकारी / कर्मचारी ।
2. नोटिस बोर्ड ।
3. अपर महानिदेशक के प्रधान निजी सचिव ।
4. उप महानिदेशक (आर बी) / उप महानिदेशक (ए बी) के निजी सचिव ।